

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट करौली

पीठासीन अधिकारी सुदर्शनसिंह तोमर आर.ए.एस

मु०नं० 50/2018

आर.सी.एम.एस. 2018/00133

तारीख रजू 27.11.2018

सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक जिला करौली

:- सायल/प्रार्थी

बनाम

रामभान पुत्र भौरु जाति जाटव निवासी भीकमपुरा थाना लांगरा जिला करौली

:- गैरसायल/अप्रार्थी

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975

निर्णय

दिनांक 18.11.2019

पुलिस अधीक्षक करौली द्वारा यह इस्तगासा राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत गैरसायल रामभान पुत्र भौरु जाति जाटव निवासी भीकमपुरा थाना लांगरा जिला करौली के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। अभियोग पत्र के अनुसार गैरसायल के विरुद्ध पुलिस थाना लांगरा जिला करौली में निम्न केस दर्ज हुये हैं।

क्र.सं.	मुकदमा नम्बर व दिनांक	धारा	नतीजा पु० चार्ज०नं०	न्यायालय निर्णय व दिनांक
01	113/12 दि० 10.07.2012	13 आरपीजीओ एक्ट	58 दिनांक 23.07.2012	जुर्माना 100रूपये दिनांक 06.08.2012
02	06/015 दि० 16.02.2015	13 आरपीजीओ एक्ट	03 दिनांक 10.02.2015	जुर्माना 100रूपये दिनांक 29.07.2015

उक्त पंजीकृत आपराधिक प्रकरण में वाद जॉच चार्जशीट किता कर संबन्धित न्यायालय में चालान पेश किया गया जिसमें सक्षम न्यायालय द्वारा गैरसायल को उक्त प्रकरणों में दोषी मानते हुये जुर्माना के दण्ड से दण्डित किया गया। गैरसायल जुआ, सट्टा का आदतन अपराधी है जिससे आम जनता में कुप्रभाव पडता है। इतने प्रकरण दर्ज होने के बाबजूद भी इसकी कार्यशैली पर कोई असर नहीं हो रहा है बल्कि हौंसला बुलन्द होता जा रहा है। कानून का भय कतई नहीं रखता है। निरन्तर अपराध करता जा रहा है। ऐसे अपराधी का खुले रूप से घुमना आम जनता के जान-माल की सुरक्षा हेतु असुरक्षित रहता है। ऐसे अपराधी का खुले रूप में सामाजिक सुरक्षा एवं कानून के राज के लिये कतई हित में नहीं है। इस तरह के अपराधी के खिलाफ गुण्डा एक्ट की कार्यवाही किया जाना आम जनता के हित में है।

अन्त में स्थगासा पेश कर गैरसायल अपराधी रामभान पुत्र भौरु जाति जाटव निवासी भीकमपुरा थाना लांगरा जिला करौली के खिलाफ कार्यवाही करने का निवेदन किया गया है।

स्थगासा को साबित करने के लिये एफआईआर की प्रति, चार्जशीट डायरी, सजा निर्णय की प्रतियां मय गवाह सूची पेश किये हैं।

स्थगासा दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 के नियम 04 के उल्लेखन अनुसार राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया। गैरसायल वकालानतन उपस्थित आया। गैरसायल एवं उनके अभिभाषक ने कोई जबाव पेश नहीं किया है एवं मौखिक तौर पर सायल के इस्तगासा में वर्णित तथ्यों को दोषमुक्त करने का निवेदन किया है।

सायल की ओर से इस्तगासा में प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा न्यायालय निर्णय की प्रति, नतीजा चार्जशीट की प्रतियां पेश की गई हैं जिसमें गैरसायल को आर्थिक दण्ड से दण्डित किया गया है। गैरसायल ने अपने बचाव पक्ष में मौखिक कथन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की कोई साक्ष्य, लिखित जबाव आदि पेश नहीं किये हैं।

गैरसायलान को असालतन एवं वकालानतन सुना गया। सायल ने अपने इस्तगासा मे गैरसायल के खिलाफ दो मुकदमे दर्ज करते हुये सक्षम न्यायालय मे चार्ज शीट पेश की गई थी जिसमे सक्षम न्यायालय ने अपने निर्णय मे गैरसायल को आर्थिक दण्ड से दण्डित किया गया है। सायल के इस्तगासा मे वर्णित तथ्यानुसार गैरसायल जुआ, सटटा का आदतन अपराधी है जिससे आम जनता को कुप्रभाव पड़ता है। गैरसायल सक्षम न्यायालय के दण्डित होने के बाद भी अपनी कार्यशैली पर कोई असर नहीं हो रहा है जिससे आम जनता मे ऐसे अपराधी का खुले रूप मे घुमना जान-माल की सुरक्षा हेतु असुरक्षित रहता है। जिसमे गैरसायल द्वारा अपने जबाव मे गरीब व्यक्ति होना स्वीकार करते हुये दोष मुक्त किये जाने का भी निवेदन किया गया है। किन्तु जब सक्षम न्यायालय द्वारा गैरसायल को दण्ड से दण्डित कर दिया गया है तो गैरसायल के विरुद्ध यह विश्वास करने के पर्याप्त आधार है कि गैरसायल को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 के नियमों के तहत अपराधिकृत कारित करने मे संलिप्त है। गैरसायल का कृत्य अनैतिक है जो समाज के लिये अभिशाप है। ऐसे मे उसके खिलाफ कार्यवाही किया जाना उचित समझते है।

अतः सायल/प्रार्थी का इस्तगासा स्वीकार किया जाकर गैरसायल श्री रामभान पुत्र भौरू जाति जाटव निवासी भीकमपुरा थाना लांगरा जिला करौली को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत गुण्डा घोषित किया जाता है तथा गैरसायल को 15 दिवस की समयावधि के लिये थाना लांगरा जिला करौली के परिक्षेत्र से निष्कासित करने का आदेश दिया जाता है। थाना अधिकारी लांगरा को आदेश दिये जाते है कि दिनांक 01.12.2019 से 15.12.2019 की समयावधि के लिये सदर थाना करौली पर रहने हेतु सूपूर्द करें गैरसायल को सुविधा मार्ग से ले जाया जावे। गैरसायल वहां रहने की जानकारी के लिये थाने मे उपस्थिति देगा एवं 15 दिवस की समाप्ति से पूर्व थाना लांगरा के किसी भी भाग मे प्रवेश नहीं करेगा। निर्णय की प्रति पुलिस अधिक्षक करौली एवं थाना अधिकारी लांगरा एवं सदर थाना करौली को भेजे तथा एक प्रति गैरसायल को दी जावे।

निर्णय आज दिनांक 18.11.2019 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुदर्शनसिंह तोमर)
अति० जिला मजिस्ट्रेट
करौली

